नि:शक्तजनों के लिये विशेष भरती अभियान
समय-सीमा

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल—462004

क्र. एफ. 8-5/2004/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु विशेष भरती अभियान तथा आरक्षण रोस्टर में निर्धारित बिन्दुओं के स्थान पर तीन खण्ड स्तरीय संशोधित व्यवस्था लागू करना.

राज्य के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए ''दीनदयाल समर्थ योजना, 2004'' लागू की गई है. इस योजना का बिन्दु क्रमांक 1.8 निम्नानुसार है:—

''नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित 6 प्रतिशत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की गणना की जाकर विशेष भरती अभियान के माध्यम से पदों की पूर्ति की जायेगी.''.

2. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 8-4/2001/आ.प्र./एक, दिनांक 22-11-2002 द्वारा 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर में नि:शक्तजनों के लिए 6 बिन्दु निर्धारित किए गए हैं. राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि रोस्टर में नि:शक्तजनों के लिए प्रथम आरक्षित पद बिन्दु क्रमांक 16 पर आता है. कई विभागों में, विशेष कर जिलास्तरीय संवर्गों में स्वीकृत पदों की संख्या कम होने के कारण रोस्टर 16 वें बिन्दु तक पहुंच ही नहीं पाता इसलिये नि:शक्तजनों को अवसर नहीं मिल पाता है.

3. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि—

(अ) उपरोक्त पैरा-2 में उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ. 8-4/2001/आ.प्र./एक, दिनांक 22-11-2002 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है. नि:शक्तजनों के लिये निर्धारित 6 प्रतिशत 'हॉरिजेण्टल' आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार की सेवाओं में लागू ''तीन खण्ड स्तरीय'' व्यवस्था राज्य शासन की सेवाओं में भी लागू की जाती है. 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर में तीन खण्ड निम्नानुसार होंगे:—

प्रथम खण्ड	—	रोस्टर बिन्दु क्रमांक	1 से 33 तक
द्वितीय खण्ड	—	रोस्टर बिन्दु क्रमांक	34 से 67 तक
तृतीय खण्ड	—	रोस्टर बिन्दु क्रमांक	68 से 100 तक

उक्त तीन खण्डस्तरीय नवीन व्यवस्था के क्रियान्वयन संबंधी विस्तृत प्रक्रिया इस परिपत्र के साथ संलग्न ''बुकलेट'' की कंडिका-(छै:) में दर्शायी गई है.

(ब) राज्य शासन की सेवाओं के लिये ''दृष्टिबाधित'' श्रेणी के नि:शक्तजनों को निम्नांकित छूट प्रदान की गई है:—

I. आवेदन-पत्र तथा पंजीकरण शुल्क में छूट.

II. परीक्षा शुल्क में छूट.

III.. लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में 10 प्रतिशत अंकों तक अन्य उम्मीदवारों की तुलना में छूट.

उक्त तीनों प्रकार की छूट अब दृष्टिबाधितों के साथ-साथ श्रवणबाधितों तथा अन्य नि:शक्तजनों को भी प्रदान की जाए.

(स) राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि नि:शक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षित पदों की गणना कर, रिक्त पदों की पूर्ति विशेष भरती अभियान के तहत की जाए. इस विशेष भरती अभियान की समयावधि दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 31-3-2006 तक होगी.

I. नि:शक्तजनों के लिए निर्धारित 6 प्रतिशत 'होरिजेण्टल' आरक्षण को दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित तथा अन्य श्रेणी के नि:शक्तजनों, तीनों श्रेणी के, प्रत्येक लिए दो प्रतिशत विभाजित किया गया है, अत: विशेष भरती अभियान के तहत तीनों श्रेणी के नि:शक्तजनों के पदों की पूर्ति का ध्यान रखा जाए.

II. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों की पूर्ति हेतु पृथक् से विशेष भरती अभियान चलाया जा रहा है. अत: सभी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों को विशेष भरती अभियान के तहत भरते समय नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति भी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के नि:शक्त व्यक्ति से की जाए.

4. कृपया अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों को अवगत कराते हुए नि:शक्तजनों के आरक्षित रिक्त पदों की विशेष भरती अभियान के तहत निर्धारित समय-सीमा में पूर्ति सुनिश्चित करें और इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के साथ-साथ आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, तुलसीनगर, भोपाल को भी प्रेषित की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष डाफणे)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.